

S.No.27(R)

गोपनीय

83

सं0एफ0 11-1/2013-संस्कृत-11

भारत सरकार  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
उच्चतर शिक्षा विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली  
20 मार्च, 2013

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी सचिव।
2. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
3. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिव।
4. सभी भारतीय विश्वविद्यालयों/सम-विश्वविद्यालयों के कुलपति।
5. सम्मान प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति।

विषय:- वर्ष 2013 हेतु संस्कृत, पाली/प्राकृत, अरबी और फारसी भाषा के विद्वानों को राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण-पत्र पुरस्कार और इन्हीं भाषाओं में युवा विद्वानों को महर्षि बदरायन व्यास सम्मान प्रदान करने के संबंध में सिफारिशें।

महोदय,

संस्कृत, पाली/प्राकृत, अरबी और फारसी भाषाओं के विद्वानों को सम्मानित करने के लिए "राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण-पत्र पुरस्कार" नामक योजना को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इन भाषाओं के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रियों की जीवनपर्यन्त उपलब्धि के आधार पर 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के विद्वानों को संस्कृत भाषा के लिए अधिकतम 15 पुरस्कार, अरबी और फारसी प्रत्येक के लिए तीन-तीन पुरस्कार और पाली/प्राकृत के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है। अप्रवासी संस्कृत विद्वानों अथवा विदेशी मूल के संस्कृत विद्वानों को एक अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करके वर्ष 2008 से इस योजना के क्षेत्र का विस्तार किया गया है। इस योजना में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पुरस्कार प्राप्त करने वाले को एक सनद और शाल प्रदान किए जाने के अलावा संस्कृत, पाली/प्राकृत, अरबी और फारसी भाषा के विद्वानों को 5.00 लाख रुपये के एकमुश्त वित्तीय अनुदान प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा 30-40 वर्ष के आयु वर्ग के युवा विद्वानों के लिए महर्षि बदरायन व्यास सम्मान, जिसके तहत संस्कृत भाषा के 5 विद्वानों जिसमें प्रत्येक विद्वान को 1.00 लाख रुपये के एक मुश्त नगद पुरस्कार तथा पाली/प्राकृत, अरबी और फारसी भाषाओं के प्रत्येक विद्वान के लिए 1.00 लाख रुपये नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

2. वर्ष 2002 से 30-40 आयु वर्ग के युवा विद्वानों हेतु संस्कृत भाषा में पांच पुरस्कार, पाली/प्राकृत, अरबी और फारसी भाषा में एक-एक पुरस्कार प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है। यह पुरस्कार महर्षि बदरायन व्यास सम्मान कहलाता है। इस पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक विद्वान को एक सनद और एक शॉल प्रदान किए जाने के साथ-साथ 1.00 लाख रुपये की एक मुश्त राशि भी दी जाती है।

3. अतः निम्नलिखित के लिए नामांकन आमंत्रित किया जाता है :-

### 3.1 संस्कृत भाषा हेतु पुरस्कार

- 5.00 लाख रु0 के एक मुश्त नकद अनुदान वाले 15 राष्ट्रीय पुरस्कार
- अप्रवासी भारतीयों अथवा गैर-भारतीय मूल के व्यक्तियों हेतु 5.00 लाख रु0 के एकमुश्त नकद अनुदान वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार

### 3.2 पाली/प्राकृत, अरबी तथा फारसी हेतु पुरस्कार

- अरबी भाषा के लिए 5.00 लाख रु0 के एक मुश्त नकद अनुदान वाले 3 पुरस्कार
- फारसी भाषा के लिए 5.00 लाख रु0 के एक मुश्त नकद अनुदान वाले 3 पुरस्कार
- पाली/प्राकृत के लिए 5.00 लाख रु0 के एक मुश्त नकद अनुदान वाला एक पुरस्कार

### 3.3 महर्षि बदरायन व्यास सम्मान

संस्कृत, पाली/प्राकृत, अरबी तथा फारसी भाषा के क्षेत्र में 30-40 वर्ष के आयु वर्ग के युवा विद्वानों हेतु महर्षि बदरायन व्यास सम्मान।

- संस्कृत भाषा हेतु 1.00 लाख रु0 के एकमुश्त नकद अनुदान वाले 5 पुरस्कार
- पाली/प्राकृत भाषा हेतु 1.00 लाख रु0 के एकमुश्त नकद अनुदान वाला 1 पुरस्कार
- अरबी भाषा हेतु 1.00 लाख रु0 के एकमुश्त नकद अनुदान वाला 1 पुरस्कार
- फारसी भाषा हेतु 1.00 लाख रु0 के एकमुश्त नकद अनुदान वाला 1 पुरस्कार

4. तदनुसार आपसे अनुरोध है कि संस्कृत, पाली/प्राकृत, अरबी, फारसी विद्वानों के नामों की इन सम्मानों हेतु सिफारिश करते समय संस्कृत, अरबी, फारसी अथवा पाली/प्राकृत अध्ययन के क्षेत्र में केवल उन्हीं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सिफारिश करें जिनके पास शिक्षण अनुभव हो, उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हों - उनकी प्रकाशित पुस्तकों/लेखों की संख्या, अनुसंधान कार्य अनुभव हो तथा जिन्होंने परंपरागत संस्कृत, अरबी, फारसी अथवा पाली/प्राकृत अध्ययन को जीवित रखा है।

5. महर्षि बदरायन व्यास सम्मान हेतु विद्वानों के नामों की सिफारिश करते समय उन्हीं युवा विद्वानों की सिफारिश करें जिन्होंने अंतरविषयक अध्ययनों में उपलब्धि हासिल की है, जिनमें आधुनिकता एवं परम्परा के बीच तालमेल बिठाने की प्रक्रिया में संस्कृत अथवा प्राचीन भारतीय बुद्धिजीवियों और इन भाषाओं में विज्ञान को बढ़ावा देने के कार्य में लगे वैज्ञानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों का योगदान शामिल है।

6. सिफारिशों में उस विशिष्ट उपलब्धि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए पुरस्कार की सिफारिश की जाती है और इसे विद्वान के 'चरित्र एवं पूर्ववृत्त प्रमाण पत्र' के साथ संलग्न प्रपत्र में 31 मई, 2013 तक मंत्रालय को भेज देना चाहिए। अधूरी सिफारिशों और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त सिफारिशों पर विचार करना संभव नहीं होगा।

7. "सम्मान प्रमाण पत्र" तथा व्यास सम्मान प्रदान करने के लिए अनुशंसित विद्वानों से संबंधित जानकारी संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें। विस्तृत जानकारी के अभाव में इन सिफारिशों पर समुचित विचार करने में कठिनाई आती है। अतः अनुरोध है कि प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम में विस्तृत विवरण भरकर भेजें। यदि विद्वानों से संबंधित जानकारी के साथ-साथ पुरस्कार के लिए अनुशंसित विशिष्ट विद्वानों के उल्लेखनीय प्रकाशन भी भेजे जाएं तो यह अत्यंत मददगार साबित होगा।

8. यह भी अनुरोध है कि अनुशंसा करने से पूर्व, राज्य सरकार आदि इस प्रयोजनार्थ उन व्यक्तियों से संबंधित जानकारी का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। यदि राज्य सरकार विद्वानों के प्रारंभिक चयनार्थ विशेषज्ञ समिति का गठन करें तो इस मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि पुरस्कार के लिए सिफारिशों के योग्य कोई उपयुक्त विद्वान नहीं पाया जाता तो "शून्य" सूचना भेजने की कृपा करें। उन विद्वानों के नाम जिनकी सिफारिश पिछले वर्ष की गई थी परन्तु उनका चयन नहीं हुआ था, उन्हें इस वर्ष के पुरस्कार के लिए अनुशंसित किया जा सकता है।


9. इन पुरस्कारों के लिए विद्वानों की अनुशंसा करते समय इस बात पर बल दिया जाए कि पुरस्कार केवल उन्हीं विद्वानों के लिए है जिन्हें अपनी-अपनी भाषाओं और संबंधित विशेषज्ञता के क्षेत्रों में निपुणता हासिल है और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों के लिए नहीं हैं जिन्हें इन भाषाओं में उपलब्ध साहित्य का अल्पज्ञान है।

10. यह भी अनुरोध है कि जहां कहीं आवश्यक हो वहां अनुशंसा से पूर्व विश्वविद्यालयों/साहित्यिक तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों आदि से गुप्त रूप से परामर्श भी कर लिया जाए।

11. विगत के कुछ मामलों में यह पाया गया है कि सम्मान पुरस्कार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार आदि द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की मृत्यु पुरस्कारों की घोषणा करने से पहले ही हो गई थी परन्तु पुरस्कार की घोषणा करने से पहले यह बात भारत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई। इनके परिणामतः ऐसे मामलों में पुरस्कार की घोषणा कर दी गई जिससे सरकार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अतः अनुरोध है कि यदि पुरस्कार की घोषणा किए जाने से पहले राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना इस मंत्रालय को शीघ्र भेज दी जाए।

12. अनुशंसा करने वाले प्राधिकारियों से विशेष रूप से अनुरोध है कि व्यक्तिगत रूप से विद्वानों के आवेदन पत्रों अथवा अनुरोधों पर विचार न करें और इस प्रकार इस पुरस्कार की गोपनीयता तथा गरिमा बनाए रखें। संबंधित विद्वानों के बारे में संपूर्ण जानकारी/ब्यौरा अन्य स्रोतों से सावधानीपूर्वक पूछताछ करके इस प्रकार एकत्र की जाए ताकि विद्वान इस बात से अनभिज्ञ रहें कि उनके नाम की अनुशंसा की जा रही है। अनुशंसा के साथ विद्वानों द्वारा स्वयं प्रस्तुत की गई सामग्री पर न तो विचार करना चाहिए और न ही यह भेजी जानी चाहिए। विद्वानों द्वारा अपने बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी को छुपाना उनके लिए अहितकर होगा और इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

भवदीय



(पवन मेहता)


अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष: 011-23381782

संलग्नक: यथोपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. अध्यक्ष,  
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,  
बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. निदेशक,  
राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद्  
फरोग-ए- उर्दू भवन,  
FC-33/9, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जसौला,  
नई दिल्ली-110025.
3. निदेशक,  
17-बी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्,  
अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली-16.
4. निदेशक,  
नीपा, एन0सी0ई0आर0टी0 परिसर,  
श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली।
5. निदेशक,  
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास,  
ए-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-16.
6. निदेशक,  
साहित्य अकादमी,  
35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
7. निदेशक,  
केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान,  
मानस गंगोत्री, हुनसर रोड, मैसूर-570006.

साथ ही अनुरोध है कि सिफारिशें संलग्न प्रपत्र में निश्चित रूप से 31 मई, 2013 तक भेज दें।



(पवन मेहता)

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष: 23381782

85-

वर्ष 2013 के लिए राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र पुरस्कार तथा महर्षि बदरायन व्यास सम्मान प्रदान करने के लिए सिफारिश करने हेतु प्रपत्र संस्तुत पुरस्कार (कृपया निशान लगाएँ)

I	सम्मान प्रमाण पत्र (60 वर्ष और इससे अधिक आयु के विद्वानों हेतु)												
	महर्षि बदरायन व्यास सम्मान (30 से 40 वर्ष आयु वर्ग के युवा विद्वानों हेतु)												
वह क्षेत्र जिसके लिए सिफारिश की गई है (कृपया निशान लगाएँ)													
II	संस्कृत	पाली/प्राकृत	अरबी फारसी										
III	पुरस्कार प्रदान करने की सिफारिश करने वाले विद्वान का नाम (मोटे अक्षरों में)												
	यदि सिफारिश करने वाला प्राधिकारी सम्मान प्रमाण-पत्र से पुरस्कृत है, उस वर्ष का उल्लेख करें जिसमें उसे पुरस्कार प्राप्त हुआ												
	सिफारिश करने वाले प्राधिकारी का पद												

वर्ष 2013 के लिए सिफारिश  
(सिफारिश किए गए व्यक्ति का ब्यौरा)

1.	नाम (हिन्दी में )	:													
	नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में)	:													
2.	पूरा पता	:													
3.	i) जन्म तिथि	:	<table border="1"> <tr> <td>दिन</td> <td></td> <td>माह</td> <td></td> <td>वर्ष</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	दिन		माह		वर्ष							
दिन		माह		वर्ष											
	ii) आयु	:	<table border="1"> <tr> <td>वर्ष</td> <td>माह</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	वर्ष	माह										
वर्ष	माह														
4.	(क) अर्हताओं सहित विश्वविद्यालय का नाम, वर्ष और श्रेणी/डिवीजन	:													
	(ख) उस संगठन जिसमें सेवा की है, के ब्यौरे सहित, धारित पद और सेवा की अवधि और अनुभव	:													
	(ग) विशेषज्ञता का विषय	:													
	परम्परागत विद्वानों के लिए (जहां लागू हो)	:													
	(क) स्थान तथा अध्ययन की अवधि तथा गुरुओं के नाम	:													
	(ख) उच्चतर अध्ययन जिनमें परम्परागत विद्वानों ने विशेषज्ञता प्राप्त की हो	:													

	(ग) उन छात्रों की संख्या जिन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की तथा उन्हें किस स्तर तक पढ़ाया गया	:	
	(घ) डिग्री/डिप्लोमा यदि कोई हो तथा परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय का नाम तथा वर्ष	:	
5.	(क) अध्ययन की शाखाएँ (ख) विकृत पाठ में विशेषज्ञता (ग) क्या भाष्य का अध्ययन किया है? यदि हां, तो उत्तीर्ण की गई परीक्षा।	:	
6.	प्रकाशित पुस्तकें/लेख (क) लिखित (ख) सम्पादित (ग) अनूदित कृपया विषय/भाषा का उल्लेख करें।	:	
7.	छात्रों/शोध विद्वानों की संख्या जिन्होंने आपके मार्गदर्शन में पीएचडी/डी लिट आदि प्राप्त किया	:	
8.	पहले से प्राप्त मान्यता/सम्मान I) मान्यता/सम्मान का नाम II) वर्ष III) प्रदान करने वाले प्राधिकरण/संगठन का नाम	:	
9.	संबंधित भाषा को लोकप्रिय बनाने में विशेष योगदान का ब्यौरा	:	
10.	सम्मेलन/कवि सम्मेलन/वाद-विवाद/विद्वत् सभा जिनमें भाग लिया हो, यदि कोई हो (स्थान, तिथि तथा आयोजक का ब्यौरा और प्रस्तुत किए गए शोध पत्र)	:	
11. #	अंतर विषयक अध्ययनों में कोई उपलब्धि अथवा किया गया कार्य जिसके तहत आधुनिकता तथा परम्परा के बीच तालमेल बिठाने की प्रक्रिया में संस्कृत/फारसी/अरबी/पाली-प्राकृत अथवा प्राचीन भारतीय ज्ञान में योगदान शामिल है।	:	
12.	विद्वानों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए अनुशंसित करने का यदि कोई विशेष कारण/विस्तृत औचित्य हो तो, बताएं	:	

दिनांक:

.....

(पुरस्कार प्रदान करने की सिफारिश करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

\$ पुस्तकें/प्रकाशन संलग्न होने चाहिए अथवा सिफारिश मान्य नहीं होगी। चयन प्रक्रिया के उपरान्त पुस्तकें/प्रकाशन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के द्वारा लौटा दी जायेगी।

# इस कॉलम को विशेष रूप से बदरायन व्यास सम्मान के लिए संस्तुत विद्वानों और सूचना प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान पृष्ठभूमि वाले अन्य विद्वानों के लिए भरा जाना है।

## चरित्र तथा पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....  
 .....निवासी.....  
 .....वर्ष (यदि सिफारिश करने वाला प्राधिकारी सम्मान  
 प्रमाण-पत्र का पूर्व पुरस्कार प्राप्त करने वाल है)..... में राष्ट्रपति सम्मान  
 प्रमाणपत्र पुरस्कार प्राप्तकर्ता, एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि मैं.....  
 ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....  
 निवासी.....  
 .....को पिछले .....वर्षों से जानता हूँ तथा उनका नैतिक चरित्र अच्छा  
 है। किसी कानूनी न्यायालय में उनके विरुद्ध कोई मुकदमा लम्बित नहीं है और विगत  
 में भी उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है।

( )

सिफारिश करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम .....  
 .....  
 .....

स्थान:

तिथि:

